भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2107

04 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

विरासत शहर

2107. श्री अब्दुलखालेक :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विरासत शहरों केविकास के लिए कोई योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरउत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में विरासत शहर केरूप में घोषित शहरों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का बारापेटा शहर को एकविरासत शहर घोषित करने का विचार है औरयदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) :राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय), 500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन वाली केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 21 जनवरी, 2015 को शुरु की गई थी जिसका लक्ष्य शहर के विरासत स्वरूप को संरक्षित करने के साथ एक समावेशी ढंग से शहरी आयोजना, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को साथ-साथ लाना है। स्कीम के अंतर्गत, बारह शहरों नामतः अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलांकन्नी और वारंगल को विकास हेतु अभिनिर्धारित किया गया। हृदयस्कीम की अवधि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गई। इस स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी शहर को शामिल नहीं किया गया।

हृदय स्कीम के समाप्त होने पर, विरासत घटक को अक्तूबर, 2017 में, दिशानिर्देशों में परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान मिशन (प्रशाद) के रूप में पुनः नामकरण करने के साथ राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, संवर्धन अभियान मिशन (प्रसाद) में शामिल किया गया। प्रशाद (पीआरएएसएचएपी) स्कीम को पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और अभी तक किसी भी शहर/स्थल/स्थान को इस स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया।

* * * * *